कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड,लोक निर्माण विभाग,चकराता।

Office of the Executive Engineer, Ty.Div. PWD, Chakrata

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eepwdchakrata10@rediffmail.com

पत्रांक 170 / 12सी० दिनांक 02/02/2018

सेवा में,

मै0 रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
एस0 14 ए, 15 ए, द्वितीय तल
एन0सी0आर0 प्लाजा
न्यू गांधी कैन्ट रोड, हाथीबडकला
देहरादून।

विषयः— त्यूनी—पुरोला—नौगांव मोटर मार्ग एस.एच. 17 के किमी0 1 से 20 में ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाने हेतु रोड कटिंग चार्जेज का आगणन।

संदर्भः— आपका पत्रांक **Application No.-01 Date 05-01-2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि ओ0एफ0सी0 केबल बिछाने हेतु रोड कटिंग चार्जेज के लिए आगणन गठित कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप ₹ 12590600.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो भारतीय स्टेट बैंक का हो अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता के नाम प्रेषित करें।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः— आगणन एक प्रति में।

(वी0डी0 भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
चकराता

पत्रांक . तदिनांकः—

प्रतिलिपिः— सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता को सूचनार्थ प्रेषित।

(वी0डी0 भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
चकराता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला
Office of the Executive Engineer, Public Works Department, Purola

दूरभाष / फैक्स संख्या 01373–223324 E-Mail ID-eepwdpurola@rediffmail.com

पत्रांक – 104 / स्टी० दिनांक–29/01/2018

सेवामें,

रिलाइंस, जियो इन्फोकॉम लि०
द्वितीय तल, एन०सी०आर० प्लाजा,
हाथी बड़कला, देहरादून।

विषय :– त्यूनी पुरोला नौगॉव मोटर मार्ग के किनारे ओ०एफ०सी० बिछाने हेतु रोड साइड कटिंग की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – आपका पत्र दिनांक 19–1–18, डिमांड ड्राफ्ट सं0 217013, रू0 30440700.00 दिनांक 19–1–18

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा डिमांड ड्राफ्ट सं0 217013, रू0 30440700.00 दिनांक 19–1–18 इस खण्ड में जमा करा दिया गया है। अतः आपको निम्नलिखित शर्तें/प्रावधानो के तहत त्यूनी पुरोला नौगॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 20 से 84 तक ओ०एफ०सी० बिछाने हेतु रोड साइड कटिंग की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. केबिल को बिछाने पर मार्ग के यातायात में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये।
2. केबिल बिछाने के बाद गड्ढा पूरी तरह से मिट्टी से भरना होगा, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न होने पाये।
3. निर्माण के समय मार्ग के दोनों ओर निर्माण कार्य प्रगति पर का साइन बोर्ड अवश्य लगायें।
4. रोड कटिंग किये जाने के दौरान यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
5. केबिल बिछाने का कार्य पेंटिंग सतह को छोड़ कर हिल साइड में करना होगा।
6. एक समय में 250 मीटर से अधिक लम्बाई में खुदान नहीं किया जाय, 250 मीटर में कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही अगले 250 मीटर लम्बाई में कार्य प्रारम्भ किया जाय।

Scanned by CamScanner

7. मार्ग के किनारे लगे कि0मी0 स्टोन, हे0मी0 स्टोन, एज स्टोन, बोर्ड एवं पाइपलाइन आदि की कोई क्षति नहीं होनी चाहिये, यदि कोई क्षति की जाती है तो इसकी मरम्मत स्वयं रिलाइंस जियो कम्पनी को करनी होगी।

8. प्रमुख अभियंता, एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून के पत्रांक 542/10 प्रकीर्ण-उत्तराखण्ड/2011 दिनांक 16-5-11, संशोधित आदेश दिनांक 16-5-2016 के कार्यालय ज्ञाप का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(धीरेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

पत्रांक / तद्दिनांक

प्रतिलिपि

1. सहायक अभियंता– I, लो0नि0वि0, पुरोला को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर सहायक अभियंता, (प्रा0) लो0नि0वि0, पुरोला को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

Scanned by CamScanner